पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./आर-2-208/2018/ 14325 भोपाल, दिनांक 03 /10/2018

//आदेश//

एतद द्वारा ग्वालियर जिलें के ग्रामों में उनके सम्मुख दर्शाये गऐ श्रेणी के सामुदायिक भवन का निर्माण, योजना क्रमांक 4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान मद से निर्माण कार्य करने हेतु राशि रूपये 192.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तो के तहत प्रदान की जाती है:-

क	जिला	जनपद	ग्राम पंचायत	ग्राम/स्थान का नाम जहां सामुदायिक भवन बनाया जाना है	श्रेणी	प्रशासकीय स्वीकृति कुल लागत (राशि रूपये लाख में)		
						भवन हेतु	भवन की बाउण्ड्रीवाल	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्वालियर	मुरार	दुहिया	खोर	टाईप-2	17.00	3.00	20.00
2	ग्वालियर	मुरार	अरोरा	जिगनियां (आरोरा-मदारी बाबा मंदिर के पास)	टाईप-1	10.00	2.00	12.00
3	ग्वालियर	मुरार	बस्तरी	बस्तरी (वेश्वोदेवी माता मंदिर के पास)	टाईप-1	10.00	2.00	12.00
4	ग्वालियर	मुरार	पारसेन	पारसेन (माता मंदिर के पास)	टाईप-2	17.00	3.00	20.00
5	ग्वालियर	मुरार	डबका	डबका (बंजारा का पुरा)	टाईप-2	17.00	3.00	20.00
6	ग्वालियर	मुरार	टिहोली	टिहोली (कापुर)	टाईप-2	17.00	3.00	20.00
7	ग्वालियर	मुरार	बेहट	बेहट (टेकरी बाथम मोहल्ला)	टाईप-2	17.00	3.00	20.00
8	ग्वालियर	घाटीगांव	जेबरा	भजनपुरा	टाईप-1	10.00	2.00	12.00
9	ग्वालियर	घाटीगांव	तिघरा	तिघरा	टाईप-1	10.00	2.00	12.00
10	ग्वालियर	घाटीगांव	सौजना	बिठौली	टाईप-1	10.00	2.00	12.00
11	ग्वालियर	घाटीगांव	कौल्हूपुरा	मेहदपुर	टाईप-1	10.00	2.00	12.00
12	ग्वालियर	घाटीगांव	केथा	तालपुरा	टाईप-2	17.00	3.00	20.00
							योग	**192.00**

2. शर्ते :-

2.1 निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायतों के लिये निर्धारित निर्माण कार्य की रूपये 15.00 लाख की वित्तीय सीमा में शिथिलता प्रदान की जाती है।

2.2 निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल के पत्र क्र. **3773**, दि. **14.08.2017** द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डो एवं अवयवों के अनुसार करना होगा। प्रमुख अभियंता के इस पत्र में तकनीकी मापदंड नियत कर दिए जाने से पृथक से तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

2.3 प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने बाउण्ड्रीवाल की मानक लागत रूपये **3,.550/-** प्रति रनिंग मीटर निर्धारित की है जिसमें गेट की लागत शामिल है। बाउण्ड्रीवाल का निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्धारित तकनीकी अवयवों एवं मापदण्डो के अनुसार करना होगा।

2.4 संभागीय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करेगें।

2.5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत आवश्यक समझे तो शासन के किसी भी विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री अथवा वरिष्ठ स्तर के अभियंता से आवश्यकता अनुसार तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मदद की व्यवस्था कर सकते है। इस हेतु प्रति भवन, प्रति निरीक्षण परिश्रमिक तय कर प्रति भवन की स्वीकृत लागत का अधिकतम एक प्रतिशत जिला पंचायत की निधि से व्यय किया जा सकेगा।

2.6 निर्माण का चरणबद्ध मानक मूल्यांकन प्रमुख अभियंता के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक **14.08.2017** अनुसार मान्य होगा।

2.7 स्वीकृत भवन हेतु शासकीय भूमि की उपलब्धता का प्रमाण पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत में दिया जाना होगा।

2.8 स्वीकृति आदेश एवं राशि ग्राम पंचायत को जारी होने के उपरांत सामुदायिक भवन के स्थान में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2.9 भवन निर्माण मार्च 2019 तक पूर्ण कराना होगा।

2.10 यदि सामुदायिक भवन किसी अन्य योजना में पूर्व से स्वीकृत हो तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। प्रदाय की जाने वाली राशि पंचायत राज संचालनालय को वापिस की जाए एवं इसकी सूचना संचालनालय को तत्काल दी जावें।

3. निर्माण कार्य कि 50 प्रतिशत राशि संबंधित निर्माण ऐजेंसी को प्रथम किश्त के रूप में संचालनालय द्वारा प्रदाय की जा रही है। द्वितीय किस्त की शेष 50 प्रतिशत राशि, 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, संबंधित जिला पंचायतों के माध्यम से एकजाई मांग प्रस्ताव प्राप्त होने पर संचालनालय पंचायत राज द्वारा जारी की जायेगी।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(शमीम उद्दीन)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/पं.रा./आर-2-208/2018/ 1432
भोपाल, दिनाक 03 /10/2018

प्रतिलिपिः-

1- संभागीय ग्वालियर संभाग म.प्र की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
4. संयुक्त संचालक (वित्त) पंचायत राज संचालनालय को निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत योजना क्रमांक 4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान मद में उपलब्ध राशि से संबंधित निर्माण ऐजेंसी के खातें में अंतरित कर वित्तीय स्वीकृति जारी करें एवं राशि अंतरण की सूचना निर्माण अनुभाग को देवे।
5. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की ओर जियो टैंगिग के साथ मानिटरिंग हेतु पालनार्थ।
6. ओएसडी मान. मंत्रीज़ी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारीं, जनपद पंचायत, मुरार एवं घाटीगांव की ओर अग्रेषित कर लेख है कि स्वीकृति आदेश का तत्काल क्रियान्वयन करावे तथा संबंधित ग्राम पंचायत को अवगत करावे।
8. संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत को पालनार्थ।
9. मैनेजर विभागीय वेबसाईट/पंचायिका।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)